रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 744] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 16, 2000/कार्तिक 25, 1922

No. 744] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 16, 2000/KARTIKA 25, 1922

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2000

का. आ. 1023 (अ).—यत: मेघालय के अचीक नेशनल वालिंटियर काउंसिल, जिसे इसमें इसके पश्चात् ए.एन.वी.सी. कहा गया है और हेन्नीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल, जिसे इसमें इसके बाद एच.एन.एल.सी. कहा गया है:

(i) मेघालय को भारत से विलग करने के अपने उद्देश्य की खुलेआम घोषणा की है;

(ii) अपने उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सशस्त्र साधनों का उपयोग करते रहे हैं;

(iii) मेघालय में सुरक्षा बलों, पुलिस कार्मिकों, सरकारी अधिकारियों और कानून का पालन करने वाले नागरिकों पर हमले करते रहे हैं;

(iv) अपने संगठन के लिए नागरिकों को डराते-धमकाते, उनसे धन ऐंठने और उन्हें लूटते रहे हैं, तथा

(v) अपने अलगाववादी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विदेश स्थित माध्यमों से संबंध बनाने हेतु प्रयासरत रहे हैं ताकि जनमत को प्रभावित किया जा सके और शस्त्र और प्रशिक्षण प्राप्त करके उनकी सहायता सुनिश्चित की जा सके।

2. और यत: केन्द्रीय सरकार का मत है कि उपरोक्त कारणों से ए.एन.वी.सी. और एच.एन.एल.सी. और उनके द्वारा गठित अन्य निकाय विधिविरुद्ध संगम है।

3. अत: अब विधिविरुद्ध गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, अचीक नेशनल वालिंटियर काउंसिल (ए.एन.वी.सी.) और हेन्नीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एच.एन.एल.सी.) को विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है।

4. और यत:—

(i) ए.एन.वी.सी. और एच.एन.एल.सी. के कार्यकर्ताओं और सशस्त्र गुटों द्वारा सुरक्षा बलों और नागरिकों पर बार-बार लगातार हिंसा और हमले किए जा रहे हैं;

(ii) ए.एन.वी.सी. और एच.एन.एल.सी. की नफरी में वृद्धि हुई है;

(iii) ए.एन.वी.सी. और एच.एन.एल.सी. द्वारा लगातार धन-संग्रहण, लूट-खसोट और अत्याधुनिक हथियारों की प्राप्ति किया जाना जारी है;

(iv) आश्रय-स्थल, प्रशिक्षण और शस्त्र एवं गोलाबारूद की प्रच्छन्न प्राप्ति के प्रयोजनार्थ ए.एन.वी.सी. और एच.एन.एल.सी. लगातार पड़ोसी देशों में अपने शिविर बनाए हुए हैं।

5. और यत: केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि अचीक नेशनल वालिंटियर काउंसिल (ए.एन.वी.सी.) और हेन्नीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एच.एन.एल.सी.) की उपरोक्त गतिविधियां भारत की प्रभुसत्ता और अखण्डता को विच्छिन्न करने के लिए आशयित हैं और यदि इन पर तत्काल नियंत्रण न किया गया तो ये संगठन पुनर्संगठित होंगे, पुन: शस्त्रों से लैस होंगे, अपने कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ायेंगे, अत्याधुनिक हथियार प्राप्त करेंगे, भारी संख्या में नागरिकों और सुरक्षा बलों की हत्या करेंगे और मेघालय को भारत से विलग करने के अपने उद्देश्य के लिए अपनी गतिविधियां बढ़ाएंगे।

6. अत:, अब पैरा 4 और 5 में उल्लिखित परिस्थितियों के मद्देनजर, केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि अचीक नेशनल वालिंटियर काउंसिल (ए.एन.वी.सी.) और हेन्नीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एच.एन.एल.सी.) को तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित करना आवश्यक है, और तदनुसार उक्त धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, निदेश देती है कि यह अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किए जा सकने वाले किसी आदेश के अध्यधीन सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा.सं. 9/3/99-एन.ई.-I]

जी. के. पिल्लै, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2000

S.O. 1023 (E).—Whereas the Achik National Volunteer Council hereinafter referred to as the ANVC and the Hynniewtrep National Liberation Council hereinafter referred to as the HNLC of Meghalaya have :

(i) openly declared as their objective the secession of Meghalaya State from India;

(ii) been employing and engaging in armed means to achieve their aforesaid objective;

(iii) been attacking the Security Forces, the Police, Government employees and law-abiding citizens in Meghalaya;

(iv) been indulging in acts of intimidation, extortion and looting of civilian population for collection of funds for their organisation; and

(v) been making efforts to establish contacts with sources abroad for influencing public opinion and for securing their assistance by way of arms and training for the purpose of achieving their secessionist objective.

2. And whereas, the Central Government is of the opinion that for the reasons aforesaid, the ANVC and the HNLC and other bodies set up by them, are unlawful associations.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Achik National Volunteer Council (ANVC) and Hynniewtrep National Liberation Council (HNLC) as unlawful associations.

4. And whereas,--

(i) there have been repeated, continuing and ongoing acts of violence and attacks by armed groups and members of the ANVC and the HNLC on the Security Forces and the civilian population;

(ii) there has been an increase in the strength of the ANVC and the HNLC;

(iii) there has been continued collection of funds and extortions and acquisition of sophisticated weapons by the ANVC and the HNLC;

(iv) camps in some neighbouring countries continue to be maintained by the ANVC and the HNLC for the purpose of sanctuary, training and clandestine procurement of arms and ammunition.

5. And whereas, the Central Government is of the opinion that the aforesaid activities of the Achik National Volunteer Council (ANVC) and the Hynniewtrep National Liberation Council (HNLC) are detrimental to the sovereignty and integrity of India, and if these are not immediately curbed and controlled, the said Achik National Volunteer Council (ANVC) and the Hynniewtrep National Liberation Council (HNLC) would regroup and rearm themselves, expand their cadres, procure sophisticated weapons, cause heavy loss of lives of civilians and Security Forces, and accelerate their activities aimed at secession of Meghalaya from India.

6. Now, therefore, having regard to the circumstances referred in paragraph 4 and 5, the Central Government is of the opinion that it is necessary to declare the Achik National Volunteer Council (ANVC) and the Hynniewtrep National Liberation Council (HNLC) as unlawful associations with immediate effect; and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of the said section 3, the Central Government hereby directs that the notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 9/3/99-NE-I]

G. K. PILLAI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.